

14.07.2022:-आज यह पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी ने निवेदन किया की मूल वादपत्र आपसी राजीनामा से खारिज हो गया है। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र मे खारिज होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नही होने के कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official

★  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़